>

Title: Alleged charging of processing fee from farmers by banks for issuing 'No Dues' despite RBI Guidelines.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चहाता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना में कृषि ऋण और प्रायरिटी सैक्टर के लोन पर किसानों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीयरकट गाईडलाइन्स होने के बाद भी बैंकों द्वारा नो ड्यू देने पर प्रोसैसिंग चार्जेज के रूप में फीस वसूल की जाती है । यह पूर्णतया अवैध है और अब तक न जाने कितने किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के रिन्युअल पर प्रायरिटी सैक्टर लैंडिंग पर, बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उस पर प्रोसौसिंग फीस वसूल की गई है। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीयरकट गाईडलाइन्स हैं, कि इस लोन पर प्रोसैसिंग फीस नहीं ले सकते हैं तो फिर ये चार्ज क्यों कर रहे हैं? मेरी सरकार से मांग है कि यह फीस वापिस की जाये और किसानों के बैंक खातों में वह पैसा जमा हो, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, रिजर्व बैंक के नियमों की पालना हो सकती है अन्यथा यह किसानों के साथ सरासर अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने बैंकों की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने दूसरे रास्ते से जवाब देने की कोशिश की कि हमारे पैनल लॉयर नियुक्त हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पैनल लायर्स को फीस लेने का हक है अगर पैनल लायर को 150 रुपये लेने का निर्देश है लेकिन वकील एक हजार रुपया वसूल करता है। उसमें भी धांधली है। मेरा सरकार से कहना है कि जितने भी किसान क्रेडिड कार्डधारी हैं, उनमें रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कार्यवाही हो और बैंकों द्वारा जो अवैध रूप से वसूली की गई है, वह वापस हो।